भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3582

उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा

†3582. **श्री जी. लक्ष्मीनारायण**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सीडब्ल्यूएसएन के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों, सुगम्य डिजिटल सामग्री, अनुकूलित शिक्षण प्लेटफार्मों और समावेशी शैक्षिक अवसंरचना के विकास और उपयोग को समर्थन देने वाली योजनाओं एवं पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रौद्योगिकी-संचालित समावेशी शिक्षा के लिए वर्ष 2019 से स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्रौद्योगिकी-संचालित शैक्षिक पहलों के माध्यम से लाभांन्वित हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा सहायक प्रौद्योगिकियों से लैस विद्यालयों की संख्या का राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों एवं विशेष संस्थाओं के साथ सहयोग सहित शिक्षकों की क्षमता, सुगम्यता मानकों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम), 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित (सीडब्ल्यूएसएन) सहित सभी बच्चों के लिए न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण समवेशी शिक्षा उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। पूर्व-प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा तक सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्रीय प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्तावों के आधार पर निधि संबंधी सहयोग प्रदान किया जाता है, जिनका मूल्यांकन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाता है, निधियाँ विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त किश्त में जारी की जाती हैं। ज़िलों के बीच निधि का वितरण, कार्यों और कार्यकलापों की संस्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभागों द्वारा उनकी जिला स्तरीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और अनुमोदित एडब्ल्यूपीएंडबी के अनुसार किया जाता है।

समग्र शिक्षा के घटकों में सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा संबंधी एक विशिष्ट घटक जिसमें, सहायता और उपकरण, सहायक उपकरण, परिवहन, मार्गरक्षण एवं स्क्राइब भत्ता, अधिगम सहायता जैसे ब्रेल और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, आईएसएल-आधारित वीडियो, अधिगम सामग्री, थेरेप्टिक सेवाएँ और अन्य सहयोगी सेवाओं को कवर करने के लिए विद्यार्थी-उन्मुख घटक के अंतर्गत ₹3,500 प्रति सीडब्ल्यूएसएन प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत क्रय/सहायता/उपकरण की फिटिंग के लिए दिव्यांगजन हेतु सहायता (एडीआईपी योजना) के माध्यम से सहायता, उपकरण और सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है, जो कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभागों एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के समन्वय से कार्यान्वित किया जाता है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक/क्लस्टर संसाधन केन्द्रों में विशेष शिक्षकों द्वारा प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना (आईईपीई) तैयार की गई है।

विभाग के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकाय एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा, ईपाठशाला और पीएम ईविद्या चैनलों के माध्यम से दृष्टि और श्रव्य बाधित बच्चों के लिए ऑडियो, विज़ुअल और मल्टी-मीडिया प्रारूप में सुलभ अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो क्यूआर-कोड युक्त सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी), शिक्षक संसाधन और अन्य अधिगम सामग्री सहित पाठ्यचर्या अनुरूप ई-सामग्री उपलब्ध कराता है। इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा गुणवततापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक व्यापक और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करते हुए शिक्षार्थियों द्वारा बिना इंटरनेट सुविधा के सामग्री डाउनलोड करने और निरंतर अधिगम हेतु

सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह के उपयोग की सहायता प्रदान करता है।

दिनांक 17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या का शुभारंभ किया गया, जो पूरे देश में शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुँच को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित पहलों को एक साथ लाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनसीईआरटी के साथ समन्वय से इन पहलों का उपयोग, निगरानी और आकलन करते हैं, जबकि एनसीईआरटी द्वारा सतत शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पीएम ई-विद्या पहल के तहत दिनांक 6 दिसंबर, 2024 को श्रव्य बाधित लोगों के लिए एक विशिष्ट चैनल शुरू किया गया। पीएम ई-विद्या 24*7 डीटीएच चैनल नंबर 31 श्रव्य बाधित लोगों के लाभार्थ भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में अधिगम सामग्री प्रसारित करता है।

इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी द्वारा तैयार ईपाठशाला की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों (कक्षा 1 से 12 तक), ऑडियो-विज़ुअल संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तक निःशुल्क पहुँच प्रदान करती है, जिससे शिक्षार्थियों और शिक्षकों को कभी भी और कहीं भी शैक्षिक सामग्री तक पहुँच बनाने में सक्षम बनाना है।

एनसीईआरटी ***"समावेशी कक्षाओं के लिए शिक्षण-अधिगम पहल" शीर्षक एक लाइव संवादात्मक सीरीज़*** संचालित करता है। प्रत्येक एपिसोड आधे घंटे का होता है, जिसमें पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनलों पर आईएसएल इंटरप्रेटर की अनिवार्यता के साथ, पाठ्यपुस्तकों से एक कक्षा, एक विषय और एक अध्याय को लेकर समावेशी शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कक्षा 1 से 7 तक की पाठ्यचर्या सामग्री से संबंधित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को आईएसएल में परिवर्तित कर दिया गया है, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, उर्दू और अर्थशास्त्र की शब्दावली को तैयार किया गया है और इन ई-सामग्री तक सुसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, इन्हें दीक्षा पोर्टल और पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से नियमित आधार पर प्रसारित किया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा पर प्रमुख शिक्षकों, अभिभावकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण और जागरूकता तथा संवेदीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सीडब्ल्यूएसएन की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामान्य शिक्षकों को सुयोग्य बनाने के लिए एनसीईआरटी ने निष्ठा के अंतर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक और बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) स्तर पर ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने समावेशी कक्षा में

बच्चों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकरणीय दिशा-निर्देश देने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा संबंधी पुस्तिका जारी की है।

स्कूलों में सुलभता को बढ़ावा देने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत निर्बाध अवसंरचना जैसे रैंप, हैंडरेल युक्त रैंप, सीडब्ल्यूएसएन के लिए सुलभ शौचालय और स्कूल तक आवागमन और पहुँचने में मदद के लिए परिवहन अथवा मार्गरक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग ने जनवरी 2024 में शैक्षणिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड तैयार करके अधिसूचित किए थे, जिसे बाद में जून 2024 में आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 में अधिसूचित किया गया। यह कोड स्कूल सुविधाओं में वास्तविक सूचना और संचार संबंधी बाधाओं का समाधान करते हैं। इसके माध्यम से रेट्रोफिटिंग मौजूदा भवनों हेतु लागत किफायती समाधान प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय सुगम्यता मानकों को पूर्ण करने के लिए नई संरचना सुनिश्चित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्यकलापों के कार्यान्वयन में शैक्षिक संस्थानों हेतु सुगम्यता कोड की अनुपालना के लिए प्रेरित किया गया है।
